

## संबंधित पक्ष लेनदेन नीति

### विषय सूची

1. उद्देश्य.....	2
2. परिभाषाएं.....	2
3. संभावित संबंधित पक्ष लेनदेनों की पहचान.....	3
4. संबंधित पक्ष लेनदेनों की समीक्षा और अनुमोदन.....	3
5. इस नीति के तहत अनुमोदित नहीं किए गए संबंधित पक्ष लेनदेन.....	6
6. संबंधित पक्ष लेनदेनों का प्रकटीकरण.....	6
7. समीक्षा/संशोधन.....	6

## 1.उद्देश्य

यह नीति सेबी (Listing Obligations and Disclosure Requirements) विनियम, 2015 के विनियम 23, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य संबंधित पक्ष लेनदेनों (RPTs) के निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करना और सुशासन सुनिश्चित करना है।

## 2.परिभाषाएं

- आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन (Arm's length transaction): दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसा लेनदेन जो इस तरह किया जाता है जैसे कि वे असंबंधित हों, ताकि हितों का कोई टकराव न हो।
- महत्वपूर्ण संशोधन (Material Modification): ऑडिट कमेटी द्वारा अनुमोदित लेनदेन के मूल्य में कम से कम 20% या 1 करोड़ रुपये (जो भी अधिक हो) का बदलाव।
- संबंधित पक्ष (Related Party): इसका वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम और सेबी नियमों के तहत निर्धारित है।

## 3.संभावित संबंधित पक्ष लेनदेनों की पहचान

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (KMP) से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, संबंधित पक्षों की सूची समय-समय पर अपडेट की जाएगी।

## 4.समीक्षा और अनुमोदन

### A.ऑडिट कमेटी (Audit Committee)

- सभी RPTs और उनके संशोधनों के लिए ऑडिट कमेटी की पूर्व-मंजूरी (Pre-approval) आवश्यक है।
- केवल स्वतंत्र निदेशक ही RPTs को मंजूरी देंगे।
- कमेटी आवर्ती (repetitive) लेनदेनों के लिए सर्वसम्मति (Omnibus) मंजूरी दे सकती है, जो एक वर्ष के लिए वैध होगी।

- यदि किसी सहायक कंपनी का लेनदेन 1 करोड़ रुपये से अधिक है और वह सहायक कंपनी के टर्नओवर के 10% से अधिक है, तो उसे भी ऑडिट कमेटी की पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी।

#### **B. निदेशक मंडल (Board of Directors)**

- यदि कोई लेनदेन सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नहीं है या 'आम्स लैंथ' मूल्य पर नहीं है, तो उसे बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
- जिस सदस्य का लेनदेन में हित हो, वह चर्चा या मतदान में भाग नहीं लेगा।

#### **C. शेयरधारक (Shareholders)**

- महत्वपूर्ण (Material) लेनदेनों और उनके संशोधनों के लिए शेयरधारकों की पूर्व-मंजूरी आवश्यक है।
- रॉयल्टी या ब्रांड उपयोग के लिए भुगतान यदि वार्षिक टर्नओवर के 5% से अधिक है, तो उसे 'महत्वपूर्ण' माना जाएगा।

### **5. नीति के तहत अनुमोदित नहीं किए गए लेनदेन**

यदि कंपनी को किसी ऐसे RPT का पता चलता है जिसकी पूर्व-मंजूरी नहीं ली गई थी, तो ऑडिट कमेटी उसकी समीक्षा करेगी और उसे जारी रखने, संशोधित करने या समाप्त करने का निर्णय लेगी।

### **6. प्रकटीकरण (Disclosure)**

RPTs का विवरण निर्धारित नियमों के अनुसार प्रकट किया जाएगा और यह नीति कंपनी की वेबसाइट तथा वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध होगी।

### **7. समीक्षा/संशोधन**

इस नीति की समीक्षा ऑडिट कमेटी और बोर्ड द्वारा कम से कम हर तीन साल में एक बार की जाएगी। यदि कानूनों और इस नीति के बीच कोई टकराव होता है, तो कानून (Regulations) मान्य होंगे।